Letter No:154/UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1 Dated: 30/10/2023

UJVNL

यूजेवीएनलिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

(मानव संसाधन विभाग), "उज्ज्वल", महारानी बाग जी०एम०एस० रोड, देहरादून–248006 (उत्तराखण्ड)दूरभाष–0135–2530584फैक्स–0135–2531646

(Human Resource Department), Ujjwal, Maharani Bagh G.M.S. Road, Dehradun-248006(Uttarakhand) Phone-0135-2530584 Fax-0135-2531646 CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 :14001 Certified

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन सं०: 342/UJVNL/05/Director HR/DGM(IR)/M-1 Dated: 31/12/2019 के अनुक्रम में **सिटी अस्पताल, सुपर काम्प्लैकस, रानीपुर मोड़, हरिद्वार** को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती के दौरान/बाहय रोगी की हैसियत से कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु **दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.12.2025 तक के लिये** मान्यता निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन विस्तारित की जाती है:–

1. उक्त चिकित्सालय द्वारा संलग्न दर सूची **सी०जी०एच०एस०, देहरादून 2014 (Central Government Health Scheme, Dehradun 2014) (NABH) (Updated on 04th May 2021)** में दर्शाई गईं दरों पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा, यदि परीक्षणों/उपचारों हेतु CGHS दर उपलब्ध नहीं हैं, तो इस स्थिति में चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्तमान दर सूची लागू होगी एवं उन दरों पर **10 प्रतिशत छूट** प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।

2. चिकित्सालय द्वारा संलग्न CGHS दर सूची दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 31.12.2025 तक की अवधि हेतु मान्य होगी। दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 30.09.2023 तक की अवधि से सम्बन्धित यदि कोई प्रकरण प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त होते हैं तो उन्हें चिकित्सालय की वर्तमान दर सूची (सलंग्न) के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

3. यदि उक्त अवधि में CGHS Rates पुनरीक्षित होते हैं तो स्वतः Updated Rates ही मान्य होंगे।

4. चिकित्सालय के निम्नलिखित बिंदुओ के अनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है :–

   a मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वारा चिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।
   b किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।
   c दर सूची में जो मद देय नहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।
   d अस्पताल को पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
   e अस्पताल के विरूद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायते आने पर अथवा उनका समाधान न होने पर।

क्रमशः....../2

चिकित्सालय प्रबन्धन को निगम द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु सहमति रू० 100.00 के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानी होगी। **(प्रारूप संलग्न)**

5. उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत रहेगीं।

निदेशक (मा०सं०)

Letter No:154/UJVNL/05/Director HR/DGM(HR)/M-1

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन)/(परियोजनाएं)/(वित्त)/(मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद)/(वि०/यॉ०)/(ओ०एण्डएम०)/(वित्त)/(मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को : आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।**
6. उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को **निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्न शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।**
8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी, सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
11. चिकित्साधिकारी, मुख्यालय उज्जवल, देहरादून।
12. श्री एस०के० कपूर, सी०ई०ओ०, सिटी अस्पताल, सुपर काम्प्लैकस, रानीपुर मोड़, हरिद्वार।
13. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त यूनियन/एसोसिएशन।

(राजेश चन्द्र)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)